क्रमांक–प.2 ()जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/डी– दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 211वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 को दोपहर 12:30 बजे श्रीमती आनन्दी, जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	211:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 210वीं बैठक दिनांक 15.05.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 210वीं बैठक दिनांक 15.05.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	02	211:2	नवीन राजकीय आईटीआई विद्याधर नगर हेतू ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 403 व 404 में 6.5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन करने बाबत।	नवीन राजकीय आईटीआई विद्याधर नगर हेतू ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 403 व 404 में 6.5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन करने बाबत जोन द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 403 व 404 में 10,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की अभिशंषा करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
3.	04	211:3	ग्राम सांगानेर में खुली जेल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागृह जयपुर को कुल क्षेत्रफल 14940 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम सांगानेर में खुली जेल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागृह जयपुर को कुल क्षेत्रफल 14940 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम सांगानेर के–

ख.नं.	कुल क्षेत्रफल (व.मी.)	आवंटन योग्य क्षेत्रफल (व.मी.)
58	3400	2233
61	700	700
65	[illegible]	[illegible]
66	5300	[illegible]
67	900	[illegible]
68	1200	228

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

				<table><tr><td>69</td><td>2800</td><td>94</td></tr><tr><td>77</td><td>6000</td><td>5225</td></tr><tr><td>कुल</td><td></td><td>14940</td></tr></table>कुल क्षेत्रफल 14940 व.मी. भूमि का आवंटन खुली जेल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागार, जयपुर को किये जाने का निर्णय किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश राज्य सरकार के जवाब अनुसार जोन द्वारा तदानुरूप पुराना आवंटन निरस्त कर संशोधित आवंटन जारी करें।
4.	08	211:5	निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार ''के'' ब्लॉक में आरक्षित 3711.11 वर्ग गज भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार ''के'' ब्लॉक में आरक्षित 3711.11 वर्ग गज भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर बजट घोषणा 2025–26 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार ''के'' ब्लॉक में आरक्षित 3711.11 वर्ग गज भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की अभिशंषा करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
5.	09	211:4	ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 4586 रकबा 6.2500 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से श्मशान हेतु 0.0800 हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 4586 रकबा 6.2500 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से श्मशान हेतु 0.0800 हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवेदक अध्यक्ष, श्री मोक्ष महादेश्वर सेवा समिति के स्थान पर नगर निगम ग्रेटर के नाम श्मशान उपयोग हेतु निःशुल्क आवंटन जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4586 जो कि 6.25 हैक्टेयर का है, में से 0.08 हैक्टेयर श्मशान हेतु आवंटन किये जाते हुए उपायुक्त को सम्पूर्ण भूमि की मौका रिपोर्ट करवाकर जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6.	10	211:6	अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा आमेर क्षेत्र में सीवरेज लाईन डालने हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन	अमृत 2.0 [illegible] नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा आमेर क्षे[illegible]रेज लाईन डालने हेतु [illegible] हेतु भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्र[illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746

			निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम आमेर का खसरा नम्बर 1492 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 500 व.मी. तथा खसरा नम्बर 6394/9117 रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 500 व.मी. भूमि जयपुर नगर निगम, हैरिटेज को अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज लाईन डालने हेतु एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर पर राज्य सरकार से स्वीकृति लेते हुए आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	10	211:7	1 श्री ओमप्रकाश मिठारवाल पुत्र श्री सज्जन सिंह, 2 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शीशुपाल कृष्णीया, 3 श्री सचिव पुत्र श्री सतीश कुमार एवं 4 श्री घनश्याम पुत्र श्री बलराम सिंह शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216. 00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	1 श्री ओमप्रकाश मिठारवाल पुत्र श्री सज्जन सिंह, 2 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शीशुपाल कृष्णीया, 3 श्री सचिव पुत्र श्री सतीश कुमार एवं 4 श्री घनश्याम पुत्र श्री बलराम सिंह शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन योग्य रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रत्येक आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/ पुरूस्कार/ पात्रता संबंधित दस्तावेज सुनिश्चित किया जावे।
8.	10	211:8	बजट घोषणा 2025–26 के अनुसार राज. राज्य वि.वि.निगम लि. (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम गुवारडी के खसरा नं. 213 रकबा 0.4000 है. किस्म बीड जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है में भूमि आवंटन बाबत।	बजट घोषणा 2025–26 के अनुसार राज. राज्य वि.वि.निगम लि. (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम गुवारडी के खसरा नं. 213 रकबा 0.4000 है. किस्म बीड, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है मे भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम गुवारडी के खसरा [illegible] जो कि मास्टर विकास योजना 2011 के [illegible] उपयोग ईकोलोजिकल [illegible] एवं [illegible] सरकार के जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746

				आदेश दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में निर्माण संबंधी शर्तो–भू आच्छादन/ ऊँचाई/ वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए 0.4 हैक्टेयर भूमि में से 2500 व.मी. भूमि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 को विद्युत ग्रिड सब–स्टेशन हेतु आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
9.	10	211:9	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर–प्रथम द्वारा जयपुर शहर के पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग (सीजर यार्ड) हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर–प्रथम द्वारा जयपुर शहर के पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग (सीजर यार्ड) हेतु भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा के खसरा संख्या 44 रकबा 1.48 हैक्टेयर में से 3000 वर्ग मीटर भूमि परिवहन विभाग को भूमि के उपयोग हेतु अस्थायी रूप से आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। सीजर यार्ड को उपलब्ध करवायी जाने वाली भूमि में स्थायी निर्माण आवश्यक नहीं होगा। अतः ऐसी भूमि के संबंध में जविप्रा एवं परिवहन विभाग के मध्य एम.ओ.यू. किया जायेगा। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम ही रहेगा। साथ ही उपायुक्त को सम्पूर्ण भूमि की मौका रिपोर्ट करवाते हुए अतिक्रमणों को हटाकर जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
10.	10	211:10	बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार कार्यालय अधिशाषी अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जमवारामगढ (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम नारदपुरा में भूमि आवंटन बाबत।	बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार कार्यालय अधिशाषी अभियंता (प.व.स.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जमवारामगढ (विद्युत ग्रिड सब स्टेशन) हेतु ग्राम नारदपुरा में भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर नारदपुरा योजना के सुविधा क्षेत्र में से 2500 व. मी. भूमि, जो कि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग ईकोलोजिकल होने एवं राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में निर्माण संबंधी शर्तो–भू आच्छादन/ ऊँचाई/ वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए 0.4 हैक्टेयर भूमि में से 2[illegible] भूमि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि[illegible] को विद्युत ग्रिड सब–स्टेशन हेतु आवासीय आरक्षित दर की 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

				प्रतिशत दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को सम्पूर्ण भूमि की मौका रिपोर्ट करवाकर जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
11.	11	211:11	श्री नीरज अहलावत शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की मोहनलाल सुखाड़िया नगर में 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	श्री नीरज अहलावत शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता मेडल धारक (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ मे पदक), राष्ट्रपति अवार्डी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की मोहनलाल सुखाड़िया नगर में 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन योग्य रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रत्येक आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट(डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/ पुरूस्कार/ पात्रता संबंधित दस्तावेज सुनिश्चित किया जावे।
12.	12	211:12	ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर के ग्राम चतरपुरा के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 1000 व.मी. भूमि सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर के ग्राम चतरपुरा के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 1000 व.मी. भूमि सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम चतरपुरा के खसरा नं. 372 रकबा 3.93 हैक्टेयर में से 1000 व.मी. भूमि सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की अभिशंषा करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवंटन के प्रयोजन के संबंध में बजट प्रावधान एवं उपयोग की सुनिश्चितता के साथ आवंटन जारी किया जावे।
13.	12	211:13	ग्राम सांचोती तहसील कालवाड जविप्रा स्वामित्व की भूमि के खसरा नं. 120 रकबा 24.9640	ग्राम सांचोती तहसील [illegible] जविप्रा स्वामित्व की भूमि [illegible] 24.9640 हैक्टे. भूमि में से 10,000.00 व.[illegible] भूमि राजकीय औद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

			हैक्टे. भूमि में से 10,000.00 व.मी. भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था झोटवाडा, जयपुर को भूमि का आवंटन करने बाबत।	ोगिक प्रशिक्षण संस्था झोटवाडा, जयपुर को भूमि का आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम सांचोती तहसील कालवाड़ के खसरा नं. 120 रकबा 24.9640 है. में से 10000 वर्ग मीटर भूमि राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्था, झोटवाड़ा को निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को सम्पूर्ण भूमि की मौका रिपोर्ट करवाते हुए गै.मु. रास्ता के आर.ओ.डब्लू. को निर्धारित कर जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
14.	12	211:14	नवसृजित पुलिस चौकी टांटियावास हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	नवसृजित पुलिस चौकी टांटियावास हेतु भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम रामपुरा डाबड़ी तहसील जालसू के खसरा नं. 663 व 664 में से 500 व.मी. भूमि नवसृजित पुलिस चौकी टांटियावास हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	12	211:15	नवसृजित पुलिस थाना खोराबीसल, जयपुर पश्चिम के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों हेतु भूमि का आवंटन करने बाबत।	नवसृजित पुलिस थाना खोराबीसल, जयपुर पश्चिम के प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों हेतु भूमि का आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर प्रस्तुत प्रस्ताव में चयन किये गये स्थान को वांछित प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं माना गया है। अतः जोन उपायुक्त को वार्तानुसार स्थान का पुनः चयन कर प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
16.	13	211:16	कार्यालय उपनिदेशक, राज. बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हरमाड़ा, जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित बढारणा योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 4000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	कार्यालय उपनिदेशक, राज. बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हरमाड़ा, जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित बढारणा योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 4000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा की बढारणा योजना में सुविधा क्षेत्र में से 4000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्गए जयपुर.302004
दूरभाषः.91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स.. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

				की अभिशंषा करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को शेष बची भूमि की मौका रिपोर्ट करवाते हुए जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
17.	13	211:17	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प. 1(161)नविवि/जयपुर/2024 दिनांक 08.11.2024 की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 1391 रकबा 51.58 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 14.32 हैक्टेयर भूमि वन विभाग आवंटन करने एवं वन विभाग के स्वामित्व की भूमि ग्राम आमेर तह. आमेर के खसरा नं. 5622 रकबा 14.32 है. किस्म गै.मु पहाड़ उपायुक्त जोन– 2 के क्षेत्राधिकार की भूमि वायुसैना को दी जानी है। उक्त भूमि के बदले वायुसेना स्टेशन के स्वामित्व की भूमि जो आमेर रोड टी प्वाईन्ट से वाई फॉर्क (जयगढ व नाहरगढ फोर्ट की ओर जाने वाली सड़क) तक जाती है का जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने बाबत।	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प. 1(161)नविवि/जयपुर/2024 दिनांक 08.11.2024 की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 1391 रकबा 51.58 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 14.32 हैक्टेयर भूमि वन विभाग आवंटन करने एवं वन विभाग के स्वामित्व की भूमि ग्राम आमेर तह. आमेर के खसरा नं. 5622 रकबा 14.32 है. किस्म गै.मु पहाड़ उपायुक्त जोन– 2 के क्षेत्राधिकार की भूमि वायुसैना को दी जानी है। उक्त भूमि के बदले वायुसेना स्टेशन के स्वामित्व की भूमि जो आमेर रोड टी प्वाईन्ट से वाई फॉर्क (जयगढ व नाहरगढ फोर्ट की ओर जाने वाली सड़क) तक जाती है का जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा के स्वामित्व की भूमि ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर खसरा नं. 1391 रकबा 51.58 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 14.32 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे। उपायुक्त उक्त भूमि के बदले वायुसेना स्टेशन के स्वामित्व की भूमि जो आमेर रोड टी प्वाईन्ट से वाई फॉर्क (जयगढ व नाहरगढ फोर्ट की ओर जाने वाली सड़क) तक जाती है, का कब्जा लिया जाना सुनिश्चित करें।
18.	13	211:18	सीएचसी से नवसृजित सैटेलाईट चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर हरमाडा, जयपुर को भूमि आवंटन करने बाबत।	सीएचसी से नवसृजित सैटेलाईट चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर हरमाडा, जयपुर को भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 13:42:38 IST
Reason: Approved

				जविप्रा की बढारणा योजना के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 4760.66 व.मी., भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 4043.94 व.मी. एवं भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 4036.55 व.मी. कुल क्षेत्रफल 12841.15 व.मी. भूमि संयुक्त रूप से नवसृजित सैटेलाईट चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर हेतु निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
19.	PRN S-1	211:19	उपायुक्त जोन–पीआरएन (दक्षिण– प्रथम) के क्षेत्राधिकार में स्थित राजस्व ग्राम नन्दकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास में सृजित दी शिवा कॉ–आपरेटिव हा. सोसायटी लि. की योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी ई ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र (1388.09 व.ग.) की भूमि का आवंटन 33/11 के.वी. स्टेशन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन–पीआरएन (दक्षिण–प्रथम) के क्षेत्राधिकार में स्थित राजस्व ग्राम नन्दकिशोर पुरा उर्फ मान्यावास में सृजित दी शिवा कॉ–आपरेटिव हा. सोसायटी लि. की योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी ई ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र (1388.09 व.ग.) की भूमि का आवंटन 33/11 के.वी. स्टेशन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर राजस्व ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास में अनुमोदित योजना 6–डी इंजीनियर्स कालोनी ई ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र 1388.09 वर्ग गज का आवंटन आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्ड़ा पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–				
20.	8	211:20	जविप्रा की योजना वेस्ट–वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ–4, क्षेत्रफल 5677.74 व.मी. में से 3000 व.मी. भूमि को राईजिंग राजस्थान के अंतर्गत (एम.ओ.यू. नं. 11308 दिनांक 01.02.2025) अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	जविप्रा की योजना वेस्ट–वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ–4, क्षेत्रफल 5677.74 व.मी. में से 3000 व.मी. भूमि को राईजिंग राजस्थान के अंतर्गत (एम.ओ.यू. नं. 11308 दिनांक 01.02.2025) अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा की योजना वेस्ट–वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ–4, क्षेत्रफल 5677.74 व.मी. में से 3000 व.मी. भूमि अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.2 के अनुसार आवासीय आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर आवंटन किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

				जाने के निर्णय की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को शेष बची भूमि की मौका रिपोर्ट करवाते हुए जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
21.	8	211:21	निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर ग्रीन में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1891.64 व.मी. भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर ग्रीन में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1891.64 व.मी. भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवन हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर नि:शुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
22.	11	211:22	ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 6637 रकबा 20.39 हैक्टे. में से 2000 व.मी. किस्म चरागाह भूमि जयपुर शहर में पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 6637 रकबा 20.39 हैक्टे. में से 2000 व.मी. किस्म चरागाह भूमि जयपुर शहर में पुराने एवं जब्त मोटर वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम–बगरूकलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 6637 रकबा 20.39 हैक्टे. में से 2000 व.मी. किस्म चरागाह भूमि परिवहन विभाग को भूमि के उपयोग हेतु अस्थायी रूप से आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। सीजर यार्ड को उपलब्ध करवायी जाने वाली भूमि में स्थायी निर्माण आवश्यक नहीं होगा। अतः ऐसी भूमि के संबंध में जविप्रा एवं परिवहन विभाग के मध्य एम.ओ.यू. किया जायेगा। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम ही रहेगा। साथ ही उपायुक्त को सम्पूर्ण भूमि की मौका रिपोर्ट करवाते हुए जविप्रा के हितों की रक्षा करते हुए प्लानिंग की जावे तथा प्लान तैयार कर पीडब्लूसी की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
23.	12	211:23	मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग प्रा. लि. की 33.33 एकड भूमि का नियमितिकरण और हस्तान्तरण के संबंध में।	मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग प्रा. लि. की 33.33 एकड भूमि का नियमितिकरण और हस्तान्तरण के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के तथ्य–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746

				1ए मणिपाल यूनिवर्सिटी को ग्राम दहमीकला तह. सांगानेर के ख.नं. 467 से 469, 473 से 475, 479, 542 से 544, 595, 607, 608, 616 से 620 कुल किता 18 में से 100 एकड में से 66.67 एकड भूमि एकेडिमक कैम्पस एवं 33.33 एकड़ भूमि अन्य उपयोग हेतु आंवटित की गयी थी। उक्त भूमि में से राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (643) नविवि/3/08 दिनांक 11.05.10 के द्वारा जारी पत्र के कम 66.67 एकड भूमि जो एकेडिमक कैम्प्स हेतु आवंटन हुयी थी का पंजीकरण मणिपाल यूनिवर्सिटी के नाम से तथा 33.33 एकड भूमि जो अन्य उपयोग हेतु आवंटित थी का पंजीकरण मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग प्रा.लि. के नाम जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 2ए वर्ष 2010 मे 33.33 एकड भूमि का मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग प्रा.लि. के नाम लीजडीड जारी की गई थी। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2019 से आंवटित की गई 33.33 एकड भूमि को एकेडमिक उपयोग हेतु उक्त भूमि का सबलीज/हस्तान्तरण मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर के नाम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। 3ए वर्तमान में उक्त 33.33 एकड भूमि का उपयोग नही हुआ है एवं मौके पर भूमि रिक्त है। अतः भूमि रिक्त होने पर आंवटन की शर्ते पूरी नही होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति सहित राज्य सरकार को 33.33 एकड़ भूमि का मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग प्रा. लि. को जारी लीजडीड के निरस्तीकरण/मान्य निरस्तीकरण के लिये प्रस्तुत की जावे तथा उक्त भूमि उचित शर्तों के साथ मणिपाल युनिवर्सिटी, जयपुर को पुनः आवंटित किये जाने के संबंध में निर्णय हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
24.	14	211:24	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्य ोगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम खेडाजगन्नाथपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 710 रकबा 3.71 हैक्टे., ख.नं. 717 रकबा 1.34	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम खेडाजगन्नाथपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 710 रकबा 3.71 हैक्टे., ख.नं. 717 रकबा 1.34 हैक्टे., ख.नं. 718 रकबा ... हैक्टे., ख.नं. 718/759 रकबा 0.10 हैक्टे., ख.नं. 728 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

			हैक्टे., ख.नं. 718 रकबा 2.67 हैक्टे., ख.नं. 718/759 रकबा 0.10 हैक्टे., ख.नं. 728 रकबा 2.43 हैक्टे. समस्त की किस्म चारागाह कुल किता 05 कुल रकबा 10.25 हैक्टे. में से सडक से प्रभावित भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का (60 मीटर सडक पर) आवंटन किये जाने बाबत।	2.43 हैक्टे. समस्त की किस्म चारागाह कुल किता 05 कुल रकबा 10.25 हैक्टे. में से सडक से प्रभावित भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का (60 मीटर सडक पर) आवंटन किये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवासीय आरक्षित दर + 15 प्रतिशत की दर पर आवंटन किये जाने के निर्णय की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि खेड़ा जग्गनाथपुरा के खसरा संख्या 710 रकबा 3.71 हैक्टे., ख.नं. 717 रकबा 1.34 हैक्टे., ख.नं. 718 रकबा 2.67 हैक्टे., ख.नं. 718/759 रकबा 0.10 हैक्टे., ख.नं. 728 रकबा 2.43 हैक्टे. समस्त की किस्म चारागाह कुल किता 05 कुल रकबा 10.25 हैक्टे. मे मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार दर्शाये गये उपयोग के अनुसार ही आवंटन की शर्तें तय की जावे, ताकि आवंटित की जाने वाली भूमि में से आवासीय क्षेत्र का उपयोग आवासीय एवं शेष पब्लिक–सेमी पब्लिक दर्शित क्षेत्र का उपयोग आवेदनानुसार किया जा सके।
25.	14	211:25	एलपीसी की बैठक दिनांक 15.05.2025 के प्रस्ताव संख्या 210:13 एवं 210:14 के क्रम में आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने के निर्णय के पुनरावलोकन एवं निरस्तीकरण के संबंध में।	एलपीसी की बैठक दिनांक 15.05.2025 के प्रस्ताव संख्या 210:13 एवं 210:14 के क्रम में आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने के निर्णय के पुनरावलोकन एवं निरस्तीकरण के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर संशोधन का निर्णय लिया गया।
26.	14	211:26	ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 453 रकबा 0.55 हैक्टे. में से 5000 वर्गमीटर किस्म चाही 2 रकबा 0.12 जाव 2 रकबा 0.43 भूमि क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	बजट घोषणा 2025–26 के बिन्दु संख्या 22.6 के अनुसार उप–स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे क्रमोन्नयन हेतु ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 453 रकबा 0.55 हैक्टे. में से 5000 वर्गमीटर किस्म चाही 2 रकबा 0.12 जाव 2 रकबा 0.43 भूमि क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण [illegible]चार–विमर्श कर उप–स्वा[illegible] में क्रमोन्न[illegible] ग्राम [illegible]राजपुरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746

				सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नं. 453 रकबा 0.55 हैक्टे. में से 5000 वर्गमीटर किस्म चाही 2 रकबा 0.12 जाव 2 रकबा 0.43 भूमि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निशुल्क आवंटन किये जाने के निर्णय की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
27.		211:27	1. स्कवाड्रन लीडर संदीप कुमार झांझडिया, शौर्य चक्र पदक धारक उपरोक्तानुसार गैलेन्ट्री अवार्डस धारकों(परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र/अशोक चक्र/शौर्य चक्र/ कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना में 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	1. स्कवाड्रन लीडर संदीप कुमार झांझडिया, शौर्य चक्र पदक धारक उपरोक्तानुसार गैलेन्ट्री अवार्डस धारकों(परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र/अशोक चक्र/शौर्य चक्र/ कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (औलम्पिक/पेरा औलम्पिक में पदक, एशियाड/ कॉमन वैल्थ में पदक) को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17 ए के तहत जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर योजना में 162.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लाटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवंटन योग्य रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से निःशुल्क एक भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रत्येक आवेदक से राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट(डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के विनियम 17–ए के तहत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है, बाबत शपथ पत्र एवं गैलेन्ट्री अवार्ड/ पुरूस्कार/ पात्रता संबंधित दस्तावेज सुनिश्चित किया जावे।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746

7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.09 18:42:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15797746